



# UNIVERSITY OF RAJASTHAN JAIPUR

No. F. 2 (2)/Acad.I/2024/

Dated:

To,

All members of the Syndicate

Dear Sir/Madam,

I am enclosing herewith a copy of minutes of the special meeting of the Syndicate held on 22.04.2024 for your information and kind perusal.

It is requested that if there are any comments/changes with regard to recording of the above minutes, the same may kindly be sent to the undersigned for necessary action within 10 days from the date of receipt of the minutes, failing which it will be presumed that you do not have any comments regarding aforesaid minutes.

**Encl: as above**

—SD—  
(Avadhesh Singh)  
Registrar

No.F.2 (2)/Acad.I/2024/ 36814-19

Dated: 30/4/24

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. P.S. to Hon'ble Chancellor & Governor, Raj Bhawan, Jaipur.
2. P.S. to Secretary, Higher Education, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. Director, Infonet Centre, UOR, Jaipur with the request to please upload the same on University website immediately.
4. Comptroller of Finance & Financial Advisor, UOR, Jaipur.
5. P.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, UOR, Jaipur.
6. P.A. to Registrar, UOR, Jaipur.

**Encl: as above**

R.K. Jain  
(R.K. Jain) 29/04/24  
Dy. Registrar (Academic-I)



# UNIVERSITY OF RAJASTHAN JAIPUR

Minutes of the 15<sup>th</sup> Special meeting of the Syndicate held on Monday, 22<sup>nd</sup> April, 2024 at 11:30 A.M. in the Syndicate Hall, Vice-Chancellor's Secretariat, Rajasthan University Campus, JLN Marg, Jaipur.

The following members were present in the meeting :

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Prof. Alpana Kateja<br>Vice-Chancellor   | Chairman                |
| 2. | Prof. Sunita Agarwal<br>Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iii) of the University Act)      | Member                  |
| 3. | Prof. Arvind Vikram Singh<br>Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iii) of the University Act) | Member                  |
| 4. | Prof. G.P. Singh<br>Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iv) of the University Act)           | Member                  |
| 5. | Prof. H.S. Palsania<br>Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iv) of the University Act)        | Member                  |
| 6. | Prof. N.C. Gautam<br>Nominee of the Hon'ble Chancellor (Under Section 21(1)(v) of the University Act)        | Member                  |
|    | Avadhesh Singh<br>Registrar, University of Rajasthan   | Ex-officio<br>Secretary |

Note: The Commissioner College Education, Rajasthan, Jaipur could not attend the meeting.



## MINUTES

Item No.	Particulars	Under Proviso/ Remarks
	<p><b>Welcome by the Chairman</b></p> <p>At the outset the Vice-Chancellor welcomed all the members of the Syndicate, especially newly nominated members Prof. N.C. Gautam, Nominee of the Hon'ble Chancellor, Prof. Sunita Agarwal, Dean Faculty of Science, Prof. Arvind Vikram Singh, Dean, Faculty of Arts, and Prof. G.P. Singh, Jaipur.</p>	
15-1.0	<b>Items for consideration</b>	
15-1.1	<p><b>Agenda :</b></p> <p><b>To consider</b> the recommendations of the special meeting of the Academic Council held on 04.04.2024 (Copy of recommendations enclosed).</p> <p><b>Resolution</b></p> <p>The Syndicate considered the recommendations of the special meeting of Academic Council held on 04.04.2024 and resolved to approve the same with the remarks that the matter regarding Supernumerary seats under University Ward Quota of the in-service employee of the University be deferred.</p> <p style="text-align: center;"><b>Action : Research/Acaedimc-I/Academic-II</b></p>	
15-1.2	<p><b>Agenda :</b></p> <p>To report the orders of the Hon'ble Vice-Chancellor dated 21.01.2024 approving the Ordinance-124 related to Ph.D. in pursuance of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of Ph.D. Degree) Regulation, 2022 duly approved by Academic Council vide Res. No. 02 dated 02.12.2023 (Minutes enclosed).</p> <p><b>Resolution</b></p> <p>The Syndicate confirmed the orders of the Vice-Chancellor dated 21.01.2024. The Syndicate further resolved to approve all the</p>	

*P*

		recommendations of the special meeting of the Academic Council held on 02.12.2023.	
			<b>Action : All Sections</b>
<b>15-2.0</b>	<b>TABLE AGENDA ITEMS :-</b>		
<b>15-2.1</b>	<b>Agenda :</b>	<p>विश्वविद्यालय में 33वां दीक्षान्त समारोह के आयोजन के संदर्भ में विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षा-2022 के विवरण की जानकारी से सिंडिकेट को अवगत करवाने के संदर्भ में।</p> <p><b>व्याख्यात्मक टिप्पणी :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा-2022 के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं।</li> <li>2. विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा-2022 के उच्चतम वरियता प्राप्त छात्र/छात्राओं को गोल्ड मेडल पारितोषिक दिया जाना है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय उपाधि शाखा द्वारा अस्थायी वरियता सूची विश्वविद्यालय वेबसाईट पर जारी कर दी गई है। उक्त सूची में से उच्च वरियता प्राप्त छात्र/छात्राओं से उच्चतम वरियता बाबत आपत्तियां मांगी जा रही हैं, तदनुसार उच्चतम वरियता प्राप्त छात्र/छात्राओं की निर्णायक सूची (Final List) तैयार कर विश्वविद्यालय वेबसाईट पर जारी करने के साथ ही शैक्षणिक शाखा के माध्यम से दीक्षान्त समारोह में गोल्ड मेडल वितरण हेतु भिजवा दी जायेगी।</li> <li>3. परीक्षा-2022 में स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक/पी.जी. डिप्लोमा /सर्टिफिकेट के कुल परीक्षार्थियों की संख्या संलग्न सूची के अनुसार 1,66,572 है।</li> </ol> <p><b>Resolution</b></p> <p>राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षान्त समारोह दिनांक 19 जून, 2024 को आयोजित किये जाने की सूचना का सिंडिकेट अवलोकन करती है। साथ ही सिंडिकेट परिनियम संख्या 22 (j) की अनुपालना में आगामी आयोजित होने वाली सीनेट की विशेष बैठक में विश्वविद्यालय की परीक्षा</p>	

		<p>वर्ष-2022 में सफल स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक/पी.जी. डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के कुल 1,66,572 परीक्षार्थियों की उपाधियों एवं स्वर्ण पदकों का अनुग्रह पारित करने हेतु सीनेट से अनुशंसा करती है।</p> <p style="text-align: right;"><b>Action : Exam.</b></p>	
15-2.2	<p><b>Agenda :</b></p> <p>डॉ. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को निलम्बन से बहाल करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2023/9186 दिनांक 04-11-2023 सिंडिकेट के समक्ष पुष्टि करने हेतु प्रस्तुत है।</p> <p><b>कार्यालय टिप्पणी</b></p> <p>माननीय कुलाधिपति महोदय के पत्रांक एफ.3(4)आर.बी./2022 पार्ट-6/5841 दिनांक 02-11-2023 की अनुपालना में प्रो. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर की न्यायिक जांच आख्या में सत्यापन समिति द्वारा दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2023/9186 दिनांक 04-11-2023 के द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया है। (कुलाधिपति महोदय का पत्र एवं कार्यालय आदेश संलग्न है)।</p> <p><b>Resolution</b></p> <p>सिंडिकेट ने डॉ. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय के निलम्बन से बहाल करने सम्बन्धी कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2023/9186 दिनांक 04-11-2023 का अवलोकन कर पुष्टि की।</p> <p style="text-align: right;"><b>Action : Estt.-I</b></p>		
15-2.3	<p><b>Agenda :</b></p> <p>डॉ. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का निलम्बन से बहाल के पश्चात् दिनांक 09.04.2022 से 04.11.2023 तक के शेष वेतन भत्ते एवं पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन स्थिरीकरण का कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2024/3539 दिनांक 16.04.2024 सिंडिकेट के समक्ष पुष्टि करने हेतु प्रस्तुत है।</p>		



		<p><b>कार्यालय टिप्पणी :-</b></p> <p>माननीय कुलाधिपति महोदय के पत्रांक एफ3(4)आर.बी./2022 पार्ट-6/5841 दिनांक 02.11.2023 की अनुपालना में प्रो. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर की न्यायिक जांच आख्या में सत्यापन समिति द्वारा दोषी नहीं पाये जाने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2023/9186 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा निलम्बन से बहाल किया गया है। (कुलाधिपति महोदय का पत्र एवं कार्यालय आदेश संलग्न है)।</p> <p>तत्पश्चात् कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 08.04.2024 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2024/3539 दिनांक 16.04.2024 के द्वारा निलम्बन अवधि (दिनांक 09.04.2022 से 04.11.2023) तक के, शेष वेतन भत्ते एवं पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन स्थिरीकरण के आदेश जारी किये गये है।</p> <p><b>Resolution</b></p> <p>सिंडिकेट ने डॉ. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय के निलम्बन से बहाल करने के उपरान्त की गई कार्यवाही तथा जारी कार्यालय आदेश 16-04-2024 की पुष्टि की।</p> <p style="text-align: right;"><b>Action : Estt.-I</b></p>	
	15-2.4	<p><b>Agenda :</b></p> <p>कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 01-03-2024 एवं इनकी निरन्तरता में की गई कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु - जिसके द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय शोध छात्र प्रतिनिधि चुनाव-2022 के संबंध में प्राप्त शिकायत पर प्रो. श्याम लाल जेदिया, पूर्व कुलपति की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के अध्यादेश-357-सी के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुध्यात (Contemplated) होने पर, राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम 1946 के सेक्शन 13 (4) के अन्तर्गत कुलपति में निहित शक्तियों के तहत प्रो. सोहन लाल शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, हिन्दी विभाग एवं प्रो. निमाली सिंह, गृह विज्ञान विभाग की विश्वविद्यालय की समस्त वैधानिक</p>	



	<p>निकायों (Statutory Bodies/Authorities) एवं प्रशासनिक दायित्वों/समितियों की सदस्यता निलम्बित की गई (आदेशों की प्रति संलग्न)।</p> <p><b>Resolution</b></p> <p>सिंडिकेट ने कुलपति महोदया के उक्त आदेश एवं जारी कार्यालय आदेश क्रमशः नि.स./कु.स./2024/3 दिनांक 01-03-2024, नि.स./कु.स./2024/12 दिनांक 01-03-2024 व नि.स./कु.स./2024/21 दिनांक 01-03-2024 एवं इनकी निरन्तरता में की गई कार्यवाही पर विचार किया एवं अनुमोदन किया।</p> <p style="text-align: right;"><b>Action : Estt.-I</b></p>	
15-2.5	<p><b>Agenda :</b></p> <p>To report the orders of the Hon'ble Vice-Chancellor approving the names of 467 candidates who have been found eligible for award of Ph.D. degree during the period of 01.11.2022 to 29.02.2024, under the relevant rules/ordinances of the UGC and University of Rajasthan.</p> <p>These candidates have been provisionally awarded Ph.D. degree by the Vice-Chancellor on behalf of the Syndicate, on the unanimous recommendations of all the examiners including the viva-voce examination (List of Ph.D. degree awarded candidates enclosed).</p> <p><b>Resolution</b></p> <p>सिंडिकेट ने कुलपति द्वारा दिनांक 01-11-2022 से 29-02-2024 तक 467 शोधार्थियों को पी.एच.डी. उपाधि प्रदान किये जाने के आदेशों की पुष्टि करती है।</p> <p style="text-align: right;"><b>Action : Research</b></p>	

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

  
(AVADHESH SINGH)  
REGISTRAR

  
(PROF. ALPANA KATEJA)  
VICE-CHANCELLOR